

27.03.2023 वाद पुकारा गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह रावत (फौजदारी) राज्य की ओर से उपस्थित आये। अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह आर्या उपस्थित आये। 30ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियुक्तगण की हाजिरी माफी दी गयी। आज के लिये स्वीकृत। 31 ख प्रार्थना पत्र के द्वारा अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 24.04.2023 को पेश हो।

प्रतिभा तिवारी
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल